

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(1)वित्त/कर/2018

जयपुर, दिनांक: 09 FEB 2026

आज्ञा


राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1996 के नियम 30 के अन्तर्गत अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों से एतद् द्वारा सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	राजेन्द्र सिंह	अतिरिक्त आयुक्त	10.04.1966	30.04.2026
2.	भंवर लाल कांवरिया	उपायुक्त	01.06.1966	31.05.2026
3.	हवाई सिंह	अतिरिक्त आयुक्त	15.06.1966	30.06.2026
4.	आदर्श लोहिया	अतिरिक्त आयुक्त	01.07.1966	30.06.2026
5.	रामनिवास शर्मा	अतिरिक्त आयुक्त	01.07.1966	30.06.2026
6.	महेन्द्र कुमार	उपायुक्त	01.07.1966	30.06.2026
7.	चन्द्रभान सिंह शेखावत	वाणिज्यिक कर अधिकारी	15.06.1966	30.06.2026
8.	भारत भूषण कटारिया	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	01.07.1966	30.06.2026
9.	सहीराम डारा	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	10.07.1966	31.07.2026
10.	अंजनी कुमार शर्मा	अतिरिक्त आयुक्त	10.08.1966	31.08.2026
11.	अखेदान चारण	अतिरिक्त आयुक्त	12.08.1966	31.08.2026
12.	चतुर्भुज	उपायुक्त	22.08.1966	31.08.2026
13.	रघुवीर सिंह गोस्वामी	सहायक आयुक्त	20.08.1966	31.08.2026
14.	हेमन्त चौहान	सहायक आयुक्त	15.08.1966	31.08.2026
15.	वीणा शर्मा	सहायक आयुक्त	01.11.1966	31.10.2026
16.	अरूणा तंवर	सहायक आयुक्त	11.02.1967	28.02.2027

कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कम संख्या-05 पर अंकित श्री रामनिवास शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त के विरुद्ध एक एफआईआर संख्या 193/2009 विचाराधीन है। शेष अधिकारियों के संबंध में प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध :-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(नथमल डिडेल)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारीगण द्वारा:- आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


विशिष्ट शासन सचिव